इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2022—फाल्गुन 24, शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2022

क्रमांक 5035-मप्रविस-15/विधान/2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) जो विधान सभा में दिनांक 15 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

(ए. पी. सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा १० क का अंत:स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के परिसीमन और पंचायतों के वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का निरस्तीकरण.

१०-क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ग्राम पंचायत या उसके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन ऐसी पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किया जाता है किन्तु उसके निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह मास की कालावधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तब इस प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायत या उसके वार्डों, अथवा जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों, अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन उस तारीख से अठारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निरस्त समझा जाएगा, जिस तारीख को उक्त परिसीमन अथवा विभाजन प्रकाशित हुआ था तथा इन पंचायतों और उनके वार्डों, अथवा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार फिर से किया जाएगा.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सस्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों के विभाजन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में इस बिन्दु पर स्पष्टता नहीं है कि पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों के वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन कार्यवाहियों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यदि कतिपय कालावधि में ऐसी पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है तो क्या स्थिति होगी और कितने समय तक पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन वैध रहेगा. अतएव, इस बिन्दु पर विधिक स्पष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए मूल अधिनियम में धारा १० क अंत:स्थापित किए जाने की आवश्यकता है.

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ८ मार्च, २०२२.

रामखेलावन पटेल

भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश पंचातय राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में इस बिन्दु की स्पष्टता नहीं है कि पंचायतों के परिसीमन तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों के वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यदि कतिपय कालावधि में ऐसी पंचायतों के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती है तो क्या स्थिति होगी और कितने समय तक पंचायतों का परिसीमन तथा वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन वैध रहेगा. अतएव, इस बिन्दु पर विधिक स्पष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए मूल अधिनियम में धारा १०क अंत:स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी. मामले की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के कारण, मध्यप्रदेश पंचातय राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १५ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.